"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89 ] रायपुर,मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017—— फाल्गुन 30 , शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–15/2017/वाक/पांच (19). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01–04–2017 की प्रभावशीलता, से निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, कालावधि से संबंधित अंक "31–03–2017" के स्थान पर अंक "30–06–2017" प्रतिस्थापित किया जाए :–

| अ. क्र. | अधिसूचना क्रमांक | दिनांक |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | एफ–10/28/2006/वाक/पांच ( 16 ) | 30–03–2006 |
| 2. | एफ–10/24/2006/वाक/पांच ( 29 ) | 12–04–2006 |
| 3. | एफ–10/64/2006/वाक/पांच ( 56 ) | 14–06–2006 |
| 4. | एफ–10/27/2008/वाक/पांच ( 19 ) | 28–03–2008 |
| 5. | एफ–10/64/2008/वाक/पांच ( 53 ) | 27–09–2008 |
| 6. | एफ–10/03/2009/वाक/पांच ( 08 ) | 27–01–2009 |
| 7. | एफ–10/23/2011/वाक/पांच ( 23B ) | 31–03–2011 |
| 8. | एफ–10/11/2013/वाक/पांच ( 17 ) | 28–03–2013 |
| 9. | एफ–10/40/2014/वाक/पांच ( 31 ) | 04–03–2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | एफ–10–17/2016/वाक/पांच (26) | 31–03–2016 |
| 11. | एफ–10–18/2016/वाक/पांच (31) | 31–03–2016 |
| 12. | एफ–10–18/2016/वाक/पांच (32) | 31–03–2016 |
| 13. | एफ–10–24/2016/वाक/पांच (51) | 13–04–2016 |
| 14. | एफ 10–25/2016/वाक/पांच (52) | 21–04–2016 |
| 15. | एफ–10–42/2016/वाक/पांच (75) | 16–11–2016 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2017

क्रमांक एफ–10–15/2017/वाक/पांच (19). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–15/2017/वाक/पांच (19) दिनांक 10–3–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th March 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 15/2017/CT/V (19). — In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment, with effect from 01-04-2017:-

AMENDMENT

In the following notifications, for the figure related to period "31-03-2017" the figure "30-06-2017" shall be substituted:-

| S. No. | Notification No. | Date |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | F-10/28/2006/CT/V ( 16 ) | 30-03-2006 |
| 2. | F-10/24/2006/CT/V ( 29 ) | 12-04-2006 |
| 3. | F-10/64/2006/CT/V ( 56 ) | 14-06-2006 |
| 4. | F-10/27/2008/CT/V ( 19 ) | 28-03-2008 |
| 5. | F-10/64/2008/CT/V ( 53 ) | 27-09-2008 |
| 6. | F-10/03/2009/CT/V ( 08 ) | 27-01-2009 |
| 7. | F-10/23/2011/CT/V ( 23B ) | 31-03-2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | F-10/11/2013/CT/V ( 17 ) | 28-03-2013 |
| 9. | F-10/40/2014/CT/V ( 31 ) | 04-03-2014 |
| 10. | F-10-17/2016/CT/V ( 26 ) | 31-03-2016 |
| 11. | F-10-18/2016/CT/V ( 31 ) | 31-03-2016 |
| 12. | F-10-18/2016/CT/V ( 32 ) | 31-03-2016 |
| 13. | F-10-24/2016/CT/V ( 51 ) | 13-04-2016 |
| 14. | F-10-25/2016/CT/V (52 ) | 21-04-2016 |
| 15. | F-10-42/2016/CT/V (75 ) | 16-11-2016 |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.